38 रा0(वि0)

झारखण्ड सरकार
कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(मत्स्य प्रभाग)

सं0सं0–म0नि0–II–उ0यो0–91/2021–22/ /मत्स्य, राँची, दिनांक 02/02/22

प्रेषक,

अबुबक्कर सिद्दीख पी0, भा.प्र.से.
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड, राँची।

विषय– **चालू वित्तीय वर्ष 2021–22 में राज्य योजनांतर्गत मत्स्य विपणन योजना के तहत् बजट भीर्ष–2405 –मछली पालन अन्तर्गत उपबंधित राशि में से मो0 198.00 लाख (एक करोड़ अनठानवे लाख) रू0 मात्र के अनुमानित लागत पर योजना एवं व्यय की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबन्ध में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2021–22 में राज्य योजना के मत्स्य विपणन योजना के तहत् बजट शीर्ष–2405 –मछली पालन अन्तर्गत उपबंधित राशि में से मो0 198.00 लाख (एक करोड़ अनठानवे लाख) रू0 मात्र के अनुमानित लागत पर योजना एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

यह एक पूर्व चालित योजना है। इस योजना का उद्देश्य स्वच्छ अवस्था में मछलियों की बिक्री हेतु मत्स्य बिक्रेताओं को अनुदान पर फिश रिटेलिंग कियोस्क/फैब्रिकेटेड शॉप एवं मछलियों तथा मछलियों के बीज परिवहन हेतु मत्स्यजीवी सहयोग समितियों अथवा उनके सदस्यों को अनुदान पर चार पहिया भारवाहक वैन उपलब्ध कराना है।

2. स्वीकृत राशि का व्यय निम्न मुख्य शीर्ष के लघु शीर्षो में स्वीकृत बजट उपबंध के अंतर्गत किया जायेगा जिसके लिए समुचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबन्ध प्राप्त है :-

(राशि लाख रू0 में)

माँग सं0–53–कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)
मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन

क0	मद एवं विपत्र कोड	स्वीकृत बजट उपबंध	स्वीकृत राशि	शेष राशि
1	2	3	4	5
1	लघु शीर्ष–101–अन्तर्देशीय मछली पालन–उप शीर्ष–50–मत्स्य विपणन योजना–विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–23–आपूर्ति एवं सामग्री **53 S24050010150010323**	80.00	79.20	**0.60**
2	लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना–उप शीर्ष–50–मत्स्य विपणन योजना–विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–23–आपूर्ति एवं सामग्री **53 S24050078950010323**	40.00	39.60	**0.40**
3	लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–उप शीर्ष–50–मत्स्य विपणन योजना–विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–23–आपूर्ति एवं सामग्री **53 S24050079650010323**	80.00	79.20	**0.60**
	योग :	**200.00**	**198.00**	**1.60**

(मो0 एक करोड़ अनठानवे लाख रू0 मात्र)

3. इस योजना में शहरी क्षेत्रों में मत्स्य विक्रेताओं को स्वच्छ अवस्था में मछलियों की बिक्री हेतु अनुदान पर फिश रिटेलिंग कियोस्क/फैब्रिकेटेड शॉप दिए जायेंगे। एक फिश रिटेलिंग कियोस्क/फैब्रिकेटेड शॉप की अनुमानित इकाई लागत मो0 4.00 लाख रू0 है जिसमें लाभुक को सरकारी सहायता 90 प्रतिशत अथवा अधिकतम मो0 3.60 लाख रू0 (दोनों में जो भी कम हो) दिया जाएगा। कियोस्क की साज–सज्जा तथा विद्युत व्यय शुल्क आदि का व्यय लाभुक को स्वयं वहन करना होगा।

मछलियों तथा मछलियों के बीज परिवहन हेतु मत्स्यजीवी सहयोग समितियों अथवा उनके सदस्यों को अनुदान पर चार पहिया भारवाहक वैन के लिए विभागीय अनुदान 60 प्रतिशत अथवा अधिकतम् मो0 3.60 लाख रु0 (दोनों में से जो कम हो) दिया जायेगा। लाभुक अपनी इच्छा से चार पहिया भारवाहक वैन क्रय कर सकेंगे। शेष राशि, वाहन के निबंधन, बीमा आदि का व्यय लाभुक को स्वयं वहन करना होगा।

4. समाचार पत्रों में "इच्छा की अभिव्यक्ति" प्रकाशित करते हुए निदेशक मत्स्य की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति द्वारा फिश रिटेलिंग कियोस्क/फैब्रिकेटेड शॉप का न्यूनतम दर निर्धारित किया जाएगा। निर्धारित न्यूनतम दर के आधार पर देय सहायता की गणना होगी जो उपर्युक्त कंडिका–3 में अंकित अधिकतम देय सरकारी सहायता के अन्तर्गत होगी।

5. दिनांक 25.08.2021 को निदेशालय स्तरीय इस विषयक आहूत विशेष बैठक जिसकी कार्यवाही निदेशालय पत्रांक 1424 दिनांक 08.10.2021 द्वारा निर्गत है, के आलोक में फिश रिटेलिंग कियोस्क/फैब्रिकेटेड शॉप की अनुशंसा की गई है।

6. सुयोग्य लाभुकों के चयन एवं योजना की Feasibility की पूरी जिम्मेवारी संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/जिला मत्स्य पदाधिकारी की होगी।

7. लाभुकों का चयन जिला स्तर पर इस प्रयोजनार्थ गठित समिति के द्वारा किया जायेगा। इस समिति में निम्न सदस्य होंगें –

(i) जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/जिला मत्स्य पदाधिकारी
(ii) जिला सहकारिता पदाधिकारी
(iii) जिला पशुपालन पदाधिकारी
(iv) जिला गव्य विकास पदाधिकारी
(v) सुरक्षित जमा निर्धारण समिति हेतु मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के सरकार द्वारा मनोनित प्रतिनिधि
(vi) सुरक्षित जमा निर्धारण समिति हेतु प्रगतिशील मत्स्य पालकों के सरकार द्वारा मनोनित प्रतिनिधि
(vii) जिले के वरीयतम मत्स्य प्रसार पदाधिकारी/मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक–सदस्य सचिव

8. लाभुकों के चयन के कम में यह सुनिश्चित हो लिया जाय कि एक ही लाभुक के लिये योजना का दोहरीकरण नहीं हो।

8.1 चार पहिया भार वाहक वैन के लाभुकों का चयन का आधार निम्न प्रकार होगा–

(क) लाभुक द्वारा कम से कम मो0 6.00 लाख रू0 का भार वाहक वैन खरीदने का आवेदन दिया गया हो।

(ख) आवेदक/आवेदक समिति मछली के विपणन कार्य अथवा मछली के बीज का परिवहन करती हो।

(ग) आवेदक/आवेदक समिति अपना अंशदान लगाने में सक्षम हो।

(घ) आवेदक मत्स्यजीवी सहयोग समिति का सदस्य हो।

संबंधित जिले के मत्स्य प्रसार पदाधिकारी/पर्यवेक्षक द्वारा लिखित रूप में प्रतिवेदन किया जायेगा कि आवेदक मत्स्य बिक्री अथवा थोक व्यापार से जुड़ा है।

8.2 फिश रिटेलिंग कियोस्क/फैब्रिकेटेड शॉप के लाभुकों का चयन निम्न आधार पर होगा–

(क) आवेदक मत्स्य विपणन/प्रसंस्करण कार्य हेतु विशेष रूप से प्रशिक्षित हो अथवा इन्हें मत्स्य निदेशालय द्वारा आयोजित प्रशिक्षण में भाग लेना आवश्यक होगा।

(ख) महिला समूह का सदस्य हो अथवा महिला समूह भी आवेदक हो सकता है।

(ग) आवेदक अपना अंशदान लगाने में सक्षम हो।

(घ) महिला आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी।

8.3 दिव्यांग होने की स्थिति में आवेदक को असैनिक शल्य चिकित्सक द्वारा निर्गत दिव्यांगता का प्रमाण पत्र हो।

8.4 चयनित लाभुकों की सूची पर संबंधित जिले के उपायुक्त का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

9. जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा अपने जिला के लिये इस योजना के लाभुकों की पंजी संधारित कर उसमें दर्ज लाभुक के कमांक एवं विभाग तथा योजना के नाम को फिश रिटेलिंग कियोस्क/फैब्रिकेटेड शॉप तथा वाहनों पर दर्ज कराया जायेगा। नगर–निगम/नगर–पालिका/जिला परिवहन कार्यालय से फिश रिटेलिंग कियोस्क/फैब्रिकेटेड शॉप /वाहन का निबंधन कराने एवं निर्धारित कर/शुल्क जमा करने की जिम्मेवारी लाभुक की होगी। निबंधन अथवा नगरपालिका का कर आदि का भुगतान लाभुक द्वारा किया जायेगा।

10. जिलावार निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य परिशिष्ट 'I' के रुप में संलग्न है।

11. योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी) तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी) होंगे, जो दिये गये भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (संलग्न परिशिष्ट 'I') के अनुरुप राशि की निकासी दिये गये आवंटन के अंतर्गत संबंधित कोषागार से करेंगे।

12. राज्य स्तर पर नियंत्री पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉची होंगे, जो सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड के सर्वोच्च नियंत्रण अंतर्गत समस्त दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

13. राशि का व्यय उपलब्ध बजट उपबंध के अन्तर्गत स्वीकृत मदों में दर्शायी गई राशि की अधिसीमा में की जाएगी।

14. स्वीकृत राशि का व्यय प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक–2561 दिनांक 17.04.98 द्वारा निरुपित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

15. उक्त स्वीकृत्यादेश मंत्रिमण्श्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना सं0–सी0एस0–2/आर0 –01–2005–302 दिनांक 11.03.2015 के द्वारा प्रदत्त वित्तीय शक्ति के आलोक में निर्गत किया जाता है।

16. यह पूर्णतः राज्य योजना है।

17. इस योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन के तहत् स्वीकृत बजट उपबंध मो0 149.955 लाख रू0 में से मो0 143.01 लाख रु0 मात्र का व्यय स्वीकृत कार्य हेतु किया गया है।

18. विषयगत् योजना अंतर्गत सामगियों के क्रय में वित्त विभाग द्वारा स्थापित प्रक्रिया/नियमों का सुदृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

19. स्वीकृत्यादेश प्रारुप में विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति निम्न शर्त्तों के साथ प्राप्त है –

(i) फिश रिटेलिंग कियोस्क/फैब्रिकेटेड शॉप के लिए मानक का निर्धारण करते हुए स्थापित वित्तीय नियमों के तहत् पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए न्यूनतम दर का निर्धारण किया जायेगा।

(ii) मत्स्य परिवहन हेतु भारवाहक वाहन का मानक निर्धारण किया जाय। भारवाहक वाहन से लाभान्वित समितियों के कार्यकलाप/आय पर impact study की जाय।

20. निर्गत स्वीकृत्यादेश विभागीय वेबसाईट www.jharkhandfisheries.org पर देखा जा सकता है।

विश्वासभाजन

(अबुबक्कर सिद्दीख पी0)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 382P(वि0)मत्स्य / रॉची, दिनांक 02/02/22
प्रतिलिपि : अनुलग्नक सहित सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 382P(वि0)मत्स्य / रॉची, दिनांक 02/02/22
प्रतिलिपि : अनुलग्नक सहित निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉची/संयुक्त मत्स्य निदेशक/उप मत्स्य निदेशक (जलाशय)/मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, रॉची/जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी) को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 382P(190)मत्स्य / राँची, दिनांक 02/02/22
प्रतिलिपि : अनुलग्नक सहित वित्त विभाग (बजट शाखा) झारखण्ड, राँची/ विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त एवं उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 382P(190)मत्स्य / राँची, दिनांक 02/02/22
प्रतिलिपि : माननीय विभागीय मंत्री जी के आप्त सचिव/मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची के सचिव तथा सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव

परिशिष्ट 'I'

वित्तीय वर्ष 2021-22 में मत्स्य विपणन योजना अंतर्गत जिलावार भौतिक लक्ष्य (सं0 में) एवं वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)

क्र0	जिला का नाम	मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन-उप शीर्ष-50-मत्स्य विपणन योजना-विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री															कुल वित्तीय लक्ष्य
		लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन					लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना					लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना					
		फिश रिटेलिंग कियोस्क/फैब्रिकेटेड शॉप (सरकारी सहायता अधिकतम् 3.60 लाख रु0 प्रति)		मछली परिवहन हेतु चार पहिया भार वाहक वैन के लिये अनुदान (सरकारी सहायता अधिकतम् मो0 3.60 लाख रु0 प्रति)		उप योग (वित्तीय)	फिश रिटेलिंग कियोस्क/फैब्रिकेटेड शॉप (सरकारी सहायता अधिकतम् 3.60 लाख रु0 प्रति)		मछली परिवहन हेतु चार पहिया भार वाहक वैन के लिये अनुदान (सरकारी सहायता अधिकतम् मो0 3.60 लाख रु0 प्रति)		उप योग (वित्तीय)	फिश रिटेलिंग कियोस्क/फैब्रिकेटेड शॉप (सरकारी सहायता अधिकतम् 3.60 लाख रु0 प्रति)		मछली परिवहन हेतु चार पहिया भार वाहक वैन के लिये अनुदान (सरकारी सहायता अधिकतम् मो0 3.60 लाख रु0 प्रति)		उप योग (वित्तीय)	
		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	राँची	0	0.00	0	0.00	0.00	1	3.60	1	3.60	7.20	2	7.20	1	3.60	10.80	18.00
2	खूँटी	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	2	7.20	2	7.20	14.40	14.40
3	गुमला	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	1	3.60	3.60	3.60
4	सिमडेगा	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	2	7.20	1	3.60	10.80	10.80
5	लोहरदगा	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
6	लातेहार	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	1	3.60	3.60	0	0.00	1	3.60	3.60	7.20
7	जमशेदपुर	0	0.00	0	0.00	0.00	1	3.60	0	0.00	3.60	1	3.60	2	7.20	10.80	14.40
8	चाईबासा	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	1	3.60	3.60	3.60
9	सरायकेला	0	0.00	0	0.00	0.00	2	7.20	0	0.00	7.20	1	3.60	0	0.00	3.60	10.80
10	दुमका	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	1	3.60	1	3.60	7.20	7.20
11	जामताड़ा	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	1	3.60	3.60	3.60
12	साहेबगंज	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	1	3.60	3.60	3.60
13	पाकुड़	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	1	3.60	3.60	3.60
14	हजारीबाग	3	10.80	2	7.20	18.00	0	0.00	1	3.60	3.60	0	0.00	0	0.00	0.00	21.60
15	रामगढ़	0	0.00	1	3.60	3.60	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	3.60
16	कोडरमा	1	3.60	1	3.60	7.20	2	7.20	1	3.60	10.80	0	0.00	0	0.00	0.00	18.00
17	बोकारो	1	3.60	1	3.60	7.20	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	7.20
18	धनबाद	0	0.00	1	3.60	3.60	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	3.60
19	चतरा	0	0.00	1	3.60	3.60	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	3.60
20	गिरिडीह	0	0.00	1	3.60	3.60	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	3.60
21	देवघर	3	10.80	3	10.80	21.60	0	0.00	1	3.60	3.60	0	0.00	0	0.00	0.00	25.20
22	गोड्डा	0	0.00	1	3.60	3.60	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	3.60
23	पलामू	1	3.60	0	0.00	3.60	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	3.60
24	गढवा	1	3.60	0	0.00	3.60	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	3.60
उप योग		**10**	**36.00**	**12**	**43.20**	**79.20**	**6**	**21.60**	**5**	**18.00**	**39.60**	**9**	**32.40**	**13**	**46.80**	**79.20**	**198.00**

नोट - वित्तीय लक्ष्य को आवंटन नहीं समझें।

कुल मो0 एक करोड़ अनठानवे लाख रु0 मात्र।

(अबुबक्कर सिद्दीख पी0)
सरकार के सचिव